भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली – 110002

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता – 2026

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता – 2026 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि निम्नानुसार होगी:

प्रथम पुरस्कार – ₹10,000/-

द्वितीय पुरस्कार – ₹7,000/-

तृतीय पुरस्कार – ₹5,000/-

जिस प्रतियोगी को एक अवसर पर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वह बाद के किसी भी अवसर पर समान या उससे कम स्तर के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।

निबंध का सह-लेखकत्व स्वीकार्य नहीं होगा तथा सह-लेखकत्व वाला कोई भी निबंध प्रतियोगिता के लिए विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रतियोगिता के विषय

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता – 2026

() जलवायु परिवर्तन, अल नीनो और भारत का मानसून

() भारतीय शहरों में शहरी आवागमन की समस्या का समाधान: आगे की राह

() कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता उपयोग और घटती सृजनात्मकता

निबंध लेखकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करें:

विषय 1. जलवायु परिवर्तन, अल नीनो और भारत का मानसून परिचय

भारतीय मानसून भारतीय उपमहाद्वीप की जीवनरेखा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 80 प्रतिशत भाग लाता है। देश के लिए इसका महत्व केवल कृषि तक सीमित नहीं है। इसका संबंध बस्तियों और सभ्यताओं के विकास, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना तथा आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता से गहराई से जुड़ा है। हालांकि, मानसून अब पहले जैसी जलवायु परिस्थितियों में कार्य नहीं कर रहा है। जलवायु परिवर्तन इसकी पृष्ठभूमि संबंधी परिस्थितियों को बदल रहा है और वर्षा के प्रतिरूपों में अनिश्चितता बढ़ा रहा है।

हाल के समय में वर्षा समय और स्थान दोनों की दृष्टि से अधिक असमान होती जा रही है। लंबे शुष्क काल के बाद अत्यधिक वर्षा हो सकती है। कुछ घंटों की तीव्र वर्षा के बाद किसी शहर में गंभीर बाढ़ आ सकती है, जबकि किसी अन्य क्षेत्र में लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रह सकती है। हिमालयी राज्यों को भूस्खलन, बादल फटने, हिमनद एवं हिमपात में परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ से अतिरिक्त जोखिम का सामना करना पड़ता है। अल नीनो भी एक महत्वपूर्ण प्रभावकारी कारक है। ऐतिहासिक रूप से, अल नीनो वाले वर्षों में भारत में मानसूनी वर्षा सामान्य से कम रहने की प्रवृत्ति रही है, हालांकि यह संबंध हर वर्ष या प्रत्येक क्षेत्र में समान नहीं होता।

अतः चुनौती केवल कम वर्षा की नहीं है। चुनौती बढ़ती अनिश्चितता, परिवर्तनशीलता और तीव्रता की है। इन परिवर्तनों को समझना भारत की खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शहरों और आपदा-रोधक क्षमता के लिए आवश्यक है।

. भारतीय मानसून की बदलती गतिशीलता को समझना

भारत का मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में स्थल और समुद्र के तापमान के अंतर, हिंद, प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागरों की समुद्री परिस्थितियों, विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों तथा वायुमंडलीय परिसंचरण से प्रभावित होता है। इसके साथ-साथ अल नीनो और ला नीना भी इस प्रणाली को प्रभावित करते हैं, किंतु वे अकेले वर्षा को निर्धारित नहीं करते। हिंद महासागर द्विध्रुव ( ) तथा अन्य क्षेत्रीय
कारक भी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी कारणों से भारत में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट में मानसूनी वर्षा अधिक होती है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ भाग अपेक्षाकृत शुष्क हैं। पूर्वी हिमालय ग्रीष्मकालीन मानसून से अत्यधिक प्रभावित होता है, जबकि पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा महत्वपूर्ण होती है। जलवायु परिवर्तन इस प्रणाली को और अधिक

जटिल बना रहा है। के अनुमानों के अनुसार, इस शताब्दी के दौरान दक्षिण एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही, शताब्दी के उत्तरार्ध में से संबंधित वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ने का अनुमान है। भविष्य की योजना के लिए इन क्षेत्रीय भिन्नताओं को समझना आवश्यक है।

. बदलता मानसून, बढ़ती आपदाएँ और सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता

मानसून के व्यवहार में परिवर्तन भारत में बहुआयामी आपदा जोखिम उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक शुष्क अवधि फसल उत्पादन, भूजल पुनर्भरण और ग्रामीण आय को कम कर सकती है। इसके विपरीत, अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा बाढ़, भूस्खलन और शहरी जलभराव का कारण बन सकती है। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में तीव्र वर्षा के बाद बार-बार गंभीर जलभराव देखा गया है। के आकलनों के अनुसार, दक्षिण एशिया में भारी और तीव्र वर्षा की घटनाएँ अधिक बार होने की संभावना है। इससे कृषि, जलापूर्ति, परिवहन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना के लिए जोखिम बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन जैव-विविधता को भी प्रभावित करता है। तापमान और वर्षा में परिवर्तन से वन, आर्द्रभूमि, नदियाँ और वन्यजीवों के आवास प्रभावित हो सकते हैं। कृषि विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि भारतीय कृषि का एक बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर है। भविष्य के जलवायु जोखिम खाद्य कीमतों, रोजगार और आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। चुनौती केवल अधिक या कम वर्षा की नहीं है; बल्कि वर्षा कब और कहाँ होगी, इसकी बढ़ती परिवर्तनशीलता, चरम घटनाएँ और अनिश्चितता भी महत्वपूर्ण हैं।

. प्रकृति-आधारित समाधान अपनाना तथा जलवायु-लचीली अर्थव्यवस्था, शहरों, समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्रों और अवसंरचना का निर्माण

सतत भविष्य के लिए भारत को जलवायु परिवर्तन और मानसून की परिवर्तनशीलता से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक नई दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। हमें प्रतिक्रियात्मक आपदा प्रबंधन से आगे बढ़कर जलवायु-लचीले विकास की ओर बढ़ना होगा। इस संदर्भ में प्रकृति-आधारित समाधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देशभर में आर्द्रभूमियों, वनों, नदियों, झीलों और जलग्रहण क्षेत्रों की बहाली से बाढ़ को कम करने, भूजल पुनर्भरण में सुधार करने और जैव-विविधता की रक्षा करने में सहायता मिल सकती है। शहरों में बेहतर जलनिकासी, वर्षाजल संचयन, जल-पारगम्य सतहें, शहरी वन तथा प्राकृतिक जलनिकासी मार्गों का संरक्षण आवश्यक है। सड़कों, पुलों, बाँधों और आवास जैसी अवसंरचनाओं को भविष्य में होने वाली अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, हिमालयी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन तथा हिमपात और हिमनदों की बदलती परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि में जलवायु-लचीली फसलों, कुशल सिंचाई और बेहतर मौसम संबंधी परामर्श को अपनाया जाना चाहिए। समुदायों को स्थानीय आपदा तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में शामिल किया जाना चाहिए। आर्थिक स्तर पर जलवायु-लचीले निवेश, बीमा और जलवायु वित्त से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। लचीलापन केवल आपदा प्रतिक्रिया का हिस्सा न होकर विकास नियोजन का अभिन्न अंग होना चाहिए। समग्र रूप से अनुकूलन, शमन, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ कार्य करना होगा।

. आगे की राह

भारत की भविष्य की जलवायु रणनीति में आपदाओं पर प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर जोखिमों का पूर्वानुमान और रोकथाम करने पर बल दिया जाना चाहिए। नीति-निर्माताओं को अधिक बेहतर और स्थानीयकृत जलवायु संबंधी जानकारी की आवश्यकता है। उपग्रहों, मौसम रडार, स्वचालित मौसम केंद्रों, सेंसरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त बड़े पैमाने के आँकड़े वर्षा, तापमान, बाढ़ और सूखे की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और उन्नत जलवायु मॉडल मानसून की परिवर्तनशीलता, बादल फटने और चरम मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान में सुधार कर सकते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणालियों को इन पूर्वानुमानों को सरकारों, किसानों, शहरों और समुदायों के लिए समयबद्ध एवं सरल चेतावनियों में परिवर्तित करना चाहिए। जलवायु अनुमानों को शहरी नियोजन, अवसंरचना डिजाइन, जल प्रबंधन, कृषि, आपदा तैयारी और सार्वजनिक निवेश संबंधी निर्णयों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारत को वैज्ञानिक संस्थानों, सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की भी आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, हरित भवनों और निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शमन को समान रूप से महत्वपूर्ण बनाए रखना होगा। आगे की राह ऐसे आँकड़ा-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और जलवायु-लचीले भारत के निर्माण की है, जहाँ वैज्ञानिक ज्ञान को समयबद्ध नीति और कार्रवाई में परिवर्तित किया जाए।

निबंध लेखक एक या अधिक क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। कुछ सुझाए गए विषय और उप-विषय निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय मानसून की बदलती गतिशीलता — जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत अनुमानित वर्षा प्रतिरूप; विविध भौगोलिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय भिन्नताएँ; स्थल-समुद्र तापमान अंतर का प्रभाव; प्रशांत और हिंद महासागर की परिस्थितियों का प्रभाव।

2. समुद्री प्रभाव और वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप — अल नीनो और मानसून के ऐतिहासिक संबंध; ला नीना और द्विध्रुवीय कारकों की भूमिका; से संबंधित परिवर्तनशीलता के भविष्य के अनुमान; जटिल वायुमंडलीय प्रणालियों की बदलती गतिशीलता।

3. कृषि और खाद्य सुरक्षा की संवेदनशीलता — लंबे शुष्क मौसम के परिणाम; पूर्णतः वर्षा-आधारित कृषि प्रणालियों के जोखिम; ग्रामीण आय और रोजगार में उतार-चढ़ाव; जलवायु-लचीली फसलों और सिंचाई को बढ़ावा देना।

4. शहरी संवेदनशीलता और जलभराव संकट के समाधान — अत्यधिक वर्षा के बाद आकस्मिक बाढ़ का प्रबंधन; प्राकृतिक जलमार्गों और शहरी जलनिकासी का संरक्षण; जल-पारगम्य सतहों और वर्षाजल संचयन का विस्तार; शहरी नियोजन में जलवायु लचीलेपन का समावेश।

5. हिमालयी राज्यों में पारिस्थितिक संवेदनशीलता — भूस्खलन और बादल फटने के बढ़ते जोखिम; हिमनदों का पिघलना और हिमपात के प्रतिरूपों में परिवर्तन; पश्चिमी हिमालय में वर्षा के प्रभाव; आकस्मिक बाढ़ से उत्पन्न आपदाओं को कम करना।

6. सतत अनुकूलन के लिए प्रकृति-आधारित समाधान — आर्द्रभूमियों और वनों की पारिस्थितिक बहाली; नदी जलग्रहण क्षेत्रों और प्राकृतिक झीलों का संरक्षण; भूजल पुनर्भरण के लिए प्राकृतिक प्रणालियों को सुदृढ़ करना; क्षतिग्रस्त आवासों और स्थानीय जैव-विविधता का संरक्षण।

7. आधुनिक अवसंरचना और जलवायु-लचीली अर्थव्यवस्था — चरम परिस्थितियों के अनुकूल सड़कों और पुलों का अभियांत्रिकीकरण; लचीले बाँधों और आवास प्रणालियों का विकास; जलापूर्ति और परिवहन प्रणालियों की सुरक्षा; समर्पित जलवायु वित्त और बीमा को जुटाना।

8. प्रौद्योगिकी-आधारित पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान — कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चरम घटनाओं का पूर्वानुमान; उपग्रह निगरानी और मौसम रडार की तैनाती; समुदायों तक वास्तविक समय की चेतावनियाँ पहुँचाना; वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर-संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करना।

विषय 2. भारतीय शहरों में शहरी आवागमन की समस्या का समाधान: आगे की राह

एक अवधारणा के रूप में शहरी आवागमन से आशय किसी शहर या शहरी क्षेत्र के भीतर लोगों और वस्तुओं की कुशल, सुरक्षित और सतत आवाजाही से है। बढ़ता शहरीकरण आर्थिक विकास का सहवर्ती कारक है। लोग विकास केंद्रों की ओर या उनके निकट आते हैं। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों को विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराए, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और जिन आर्थिक गतिविधियों में वे संलग्न हैं, उनमें उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

जहाँ कुछ सेवाओं के दायरे और स्वरूप पर प्रौद्योगिकी या वित्तीय सीमाओं का प्रमुख प्रभाव पड़ता है, वहीं कई जटिल क्षेत्रों में नियोजन के स्तर पर पर्याप्त समन्वय और क्रियान्वयन में सामंजस्य की आवश्यकता होती है। शहरी आवागमन ऐसा ही एक क्षेत्र है। शहरी आवागमन को तीव्र शहरीकरण, विस्तारित सड़क नेटवर्क और बढ़ते मोटरीकरण की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत के अधिकांश बड़े शहर आवागमन संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं—संकीर्ण और क्षतिग्रस्त सड़कें, यातायात जाम, पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना का अभाव तथा उचित नियोजन की कमी आदि का उत्पादकता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

जब शहर के मुख्य और निकटवर्ती क्षेत्र महँगे हो जाते हैं और लोग बाहरी परिधीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, तब समस्या और गंभीर हो जाती है। शहरी समूह शहर की सीमाओं का विस्तार करते हैं। कार्यस्थल से दूर आवागमन और निवास से यात्रा की लागत बढ़ती है, विशेषकर गरीबों के लिए। मोटर चालित साधनों तथा साइकिल और गैर-मोटर चालित साधनों के लिए समान सड़क-अधिकार होने से समस्या और जटिल हो जाती है। भारत में शहरी सड़क क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का केवल 5–7 प्रतिशत है, जबकि कई पश्चिमी शहरों में यह 20–25 प्रतिशत है। परिणामस्वरूप दुर्घटना दर बढ़ी है। ' 2024' के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। केवल 2024 में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मृत्यु हुई।

शहरी आवागमन का एक अन्य आयाम मोटर चालित परिवहन साधनों के बढ़ते उपयोग के कारण बढ़ता प्रदूषण है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और यहाँ 30 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, जिनकी संख्या लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है।

निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि से यातायात जाम की समस्या बढ़ रही है। के अनुसार बेंगलुरु में यात्री औसतन प्रति सप्ताह 10 घंटे यातायात जाम में बिताते हैं। अनुमान है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु चार शहरों में उत्पादकता में कमी, ईंधन की बर्बादी और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के कारण प्रतिवर्ष ₹1.47 लाख करोड़ का नुकसान होता है। निकास धुएँ से होने वाला वायु प्रदूषण विषैली गैसों और सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ाता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा बड़े कार्बन उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। के अनुसार भारतीय शहरों में 2.5 प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का योगदान 20–30 प्रतिशत है।

सरकार ने बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों और एकीकृत बहु-माध्यमीय परिवहन प्रणालियों की शुरुआत के माध्यम से समस्या से निपटने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये प्रयास आवश्यकताओं के पैमाने के अनुरूप नहीं हैं। शहरी परिवहन नियोजन को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

शहरी परिवहन नीति ऐसी शहरी संरचना विकसित करने की परिकल्पना करती है जो संबंधित स्थान की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हो और शहर में होने वाली प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने में सक्षम हो। इसका उद्देश्य शहरों को रहने योग्य बनाना और उन्हें 'आर्थिक विकास के इंजन' के रूप में सक्षम बनाना भी है।

की साझा आवागमन संबंधी एक रिपोर्ट सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित परिवहन के उपयोग पर बल देती है। इसकी पृष्ठभूमि में यह तथ्य है कि भारत के परिवहन क्षेत्र में वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का 18 प्रतिशत हिस्सा है और यह तेल आयात पर अत्यधिक निर्भर है। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में युद्धों के कारण उत्पन्न तेल संकट जैसी परिस्थितियों में स्थिति और गंभीर हो जाती है।

इसके अलावा, निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के लिए भूमि की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि पर दबाव डाल रही है। रिपोर्ट के अनुसार साझा आवागमन से परिवहन का ऐसा भविष्य संभव हो सकता है जो अधिक किफायती, विश्वसनीय, स्वच्छ और कुशल हो। चुनौती यह पहचानना है कि

भारत में साझा आवागमन को अपनाने में कौन से कारक सहायक हैं और कौन से बाधक।

भारत के प्रमुख शहरों ने समाधान खोजने के प्रयास किए हैं। आवश्यकता शहरी परिवहन सेवाओं के उपयोग को मानकीकृत और अनुकूलित करने की है। प्रतियोगी शहरी आवागमन की समस्याओं, मुद्दों और उनके समाधानों पर विचार कर सकते हैं। शहरी आवागमन से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जा सकता है:

नीतियाँ और कार्यक्रम

शहरी परिवहन नीतियाँ

एकीकृत बहु-माध्यमीय परिवहन प्रणालियाँ

अन्य देशों के शहरी आवागमन कार्यक्रम

ऊर्जा-कुशल वाहनों पर सब्सिडी

परिवहन अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी ()

क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

ट्रांजिट-उन्मुख विकास

सतत आवागमन

संस्थागत समन्वय

महानगरीय परिवहन शासन

सेवा के रूप में आवागमन ( )

नियोजन

शहरी नियोजन के चरण में ही शहरी परिवहन को एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में शामिल करना, न कि बाद में उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के रूप में।

सभी शहरों में एकीकृत भूमि-उपयोग और परिवहन नियोजन को प्रोत्साहित करना, ताकि यात्रा की दूरी कम हो तथा विशेषकर शहरी आबादी के वंचित वर्गों के लिए आजीविका, शिक्षा और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं तक पहुँच में सुधार हो।

अंतिम छोर तक संपर्क (-) सुनिश्चित करना।

प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान। वित्तपोषण।

परिवहन के साधन

गैर-मोटर चालित परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना ()

तथा
( ) () योजना

इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग साझा

आवागमन

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

पर्यावरण पर प्रभाव

वायु प्रदूषण

जलवायु परिवर्तन के परिणाम

बुद्धिमान परिवहन प्रणालियाँ

सड़क सुरक्षा

सुरक्षित सड़कों और सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना आधुनिक

वाहन सुरक्षा मानकों को अपनाना

अभियांत्रिकी संबंधी सुधार

जागरूकता अभियान

सभी हितधारकों, जिनमें प्रत्येक नागरिक, प्रवर्तन एजेंसियाँ और सभी स्तरों की सरकारें शामिल हैं, का सहयोग

शहरी परिवहन प्रणाली को सततता, स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता और संचालन में स्मार्टनेस के त्रिस्तरीय सिद्धांत का पालन करना चाहिए। समय की आवश्यकता हरित आवागमन पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करने की है।

उपरोक्त सूची केवल संकेतात्मक है। प्रतिभागी इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का चयन कर सकते हैं।

विषय 3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता उपयोग और घटती सृजनात्मकता परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता () के युग में बौद्धिक साहित्यिक चोरी एक गंभीर चिंता बनती जा रही है। इसकी व्यापकता न केवल मानवीय सृजनात्मकता को कम कर रही है, बल्कि ऐसी पीढ़ी के निर्माण की आशंका भी उत्पन्न कर रही है जिसमें आलोचनात्मक चिंतन और 'दर्पणवत् आत्म-बोध' का अभाव हो। हालांकि, द्वारा उत्पन्न सूचना कम समय में कहीं भी किसी भी विषय पर तत्काल इनपुट उपलब्ध कराती है। का प्रभाव इतना व्यापक हो रहा है कि यह लोगों को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता का पर्याप्त उपयोग करने से रोक सकता है।

तेजी से प्रभावशाली होता जा रहा है। सरल कार्यों के लिए भी पर हमारी निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और इससे हमारी सृजनात्मकता प्रभावित हो रही है। जब तक का उपयोग केवल सहायता के लिए किया जाता है, तब तक यह उपयोगी है; लेकिन यदि यह प्रमुख भूमिका ग्रहण कर लेता है, तो मानवता के अस्तित्व के समक्ष गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। इससे सामग्री के सृजन की खोज के बजाय उसके उपभोग पर अधिक जोर हो जाता है। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रामाणिक सामग्री का सृजन कम होता जाता है और उसका उपभोग बढ़ता जाता है।

के बढ़ते उपयोग से ज्ञान तक व्यापक पहुँच, दक्षता और नवाचार के संबंध में गंभीर संभावनाएँ सामने आती हैं। हालांकि, इसकी बढ़ती निर्भरता मौलिकता, कल्पना और डिज़ाइन-आधारित चिंतन पर प्रश्न उठाती है। मूल प्रश्न यह है कि क्या पर अत्यधिक निर्भरता धीरे-धीरे सृजनात्मक प्रक्रिया में मानवीय सहभागिता को कम कर देगी। यह विषय प्रतिभागियों को के बढ़ते उपयोग और सृजनात्मकता के बीच संबंध का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रतिभागियों को -सहायित सृजन से जुड़े अवसरों और जोखिमों का अध्ययन करना तथा इस बात पर विचार करना चाहिए कि मानव कल्पना, प्रामाणिकता, मौलिकता और बौद्धिक प्रयासों को प्रतिस्थापित करने के बजाय तकनीक का उपयोग नवाचारी ज्ञान को बढ़ाने के साधन के रूप में कैसे किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि समाज की शक्ति का उपयोग करते हुए कल्पना, प्रामाणिकता, मौलिकता और बौद्धिक प्रयासों के मानवीय दृष्टिकोण को कैसे संरक्षित कर सकता है। यही वह व्यापक चिंता है जिसके इर्द-गिर्द निबंध को अपने विचार प्रस्तुत करने हैं।

केंद्रित क्षेत्र

1. और बौद्धिक सृजनात्मकता
2. स्कूली शिक्षा, शिक्षण और -आधारित अधिगम
3. मौलिक और -जनित सामग्री
4. सामग्री की साहित्यिक चोरी और कानूनी उपाय
5. सामग्री और आँकड़ों की विश्वसनीयता
6. और धुंधली होती मानवीय कल्पना
7. पर निर्भरता के माध्यम से मानवीय सहभागिता का संभावित आकार और दायरा
8. नैतिकता, मूल्य और बौद्धिक संपदा
9. और व्यक्तिगत सांस्कृतिक पूँजी का संयोजन

निबंध लेखन के लिए निर्देश

1. सुझाई गई शब्द-सीमा 5000 से 5500 शब्दों के बीच होनी चाहिए।

2. निबंध में परिचय, तर्कसंगत तर्क तथा सुसंगत निष्कर्ष होना चाहिए।

3. प्रतिभागियों को विषय के दोनों पक्षों की जाँच करनी चाहिए—सृजनात्मकता को बढ़ाने में की क्षमता तथा यह संभावना कि पर अत्यधिक निर्भरता प्रामाणिक और स्वतंत्र चिंतन को कमजोर कर सकती है।

4. निबंध में सृजनात्मक उपकरण के रूप में के उपयोग तथा को अपने व्यक्तिगत चिंतन और सृजनात्मक प्रयास का स्थान लेने देने के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए।

5. प्रतिभागियों को साहित्य, कला, संगीत, शोध और दैनिक जीवन से उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें उच्चवर्गीय और लोकप्रिय विचारों की तुलना एवं विमर्श किया गया हो।

6. विषय-वस्तु को साक्ष्य-आधारित तर्कों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

7. निबंध में मौलिक चिंतन, आलोचनात्मक विश्लेषण और विचारों की स्पष्टता प्रदर्शित होनी चाहिए।

8. यदि प्रतिभागी लेखन में का उपयोग करते हैं, तो उन्हें ऐसी सहायता की प्रकृति और सीमा का खुलासा करना होगा।

9. प्रतिभागियों से विचारों की मौलिकता, विश्लेषण की गहराई, तर्कों का संतुलन, प्रासंगिक उदाहरण, सुव्यवस्थित लेखन और भाषा की स्पष्टता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

10. निबंध में प्रतिभागियों की भाषिक दक्षता प्रदर्शित होनी चाहिए। शब्दों, मुहावरों और वाक्यांशों का प्रयोग सावधानीपूर्वक तथा संदर्भानुकूल किया जाना चाहिए।

11. विषय से हटकर लेखन करने पर नकारात्मक अंकन तथा मूल्यांकन से अस्वीकृति हो सकती है।

निबंध के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

निबंध अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होना चाहिए। निबंध की लंबाई लगभग 5000 शब्द होनी चाहिए। 5500 शब्दों की सीमा से अधिक लंबाई वाला निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगी को निबंध में शब्दों की कुल संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी; ऐसा न करने पर निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी निबंध केवल कागज के एक ही पक्ष पर डबल स्पेस में टाइप किए जाने चाहिए और जो प्रविष्टियाँ इस शर्त का पालन नहीं करेंगी, उन्हें अस्वीकृत माना जाएगा। इसे 'छद्म नाम' (--) या 'उपनाम' () के अंतर्गत तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रतियोगी का पूरा नाम और पता अलग शीट पर अंकित करके एक सीलबंद लिफाफे में संलग्न किया जाना चाहिए। बाहरी

आवरण वाले लिफाफे पर छद्म नाम अंकित होना चाहिए तथा निम्नलिखित लिखा होना चाहिए:

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता – 2026, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सभी निबंध महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को स्पीड पोस्ट द्वारा तथा सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से: .., इस प्रकार भेजे जाने चाहिए कि वे 10 अक्टूबर, 2026 तक उन्हें प्राप्त हो जाएँ। लिफाफे पर
'वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता – 2026' अंकित होना चाहिए। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

निबंधों का मूल्यांकन निर्णायकों के एक निकाय द्वारा किया जाएगा और निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रस्तुत निबंध आवश्यक मानक को पूरा नहीं करते हैं, तो संस्थान किसी भी पुरस्कार को न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जिस निबंध को पुरस्कार प्राप्त होगा, वह लेखक और
की संयुक्त बौद्धिक संपदा बन जाएगा।

टिप्पणी: इच्छुक प्रतियोगी यदि किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो वे महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को लिख सकते हैं।